न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 75/2022

अनवान : –

**1.** दोलतराम पुत्र रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर।

**–वादी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**– प्रतिवादी**

**प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट**

उपस्थिति :– श्री रामकुमार अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

**निर्णय** **दिनांकः** 21/3/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 146/116 की कुल 8.0960हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम दोलाराम पुत्र प्रताप है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम दोलतराम पुत्र रामप्रताप है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र , ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम सही दर्ज करने करने पर वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा कम या ज्यादा नही होना है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दोलतराम पुत्र रामप्रताप दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी स0 1 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 2050 दिनांक 16.02.2023 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम दोलतराम पुत्र रामप्रताप है एवं नाम दुरूस्ती बाबत विधिसम्मत कार्यवाही उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:51:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दोलतराम पुत्र रामप्रताप है जबकि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज के दौरान प्रार्थी का नाम दोलाराम पुत्र प्रताप दर्ज हो गया जिससे

प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 146/116 की कुल 8.0960हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नांम दोलाराम पुत्र प्रताप के स्थान पर दोलतराम पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान आदि में सही नाम दोलतराम पुत्र रामप्रताप अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक ,पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का नाम सही करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही उचित है की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 146/116 की कुल 8.0960हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी दोलाराम पुत्र प्रताप के स्थान पर सही नाम दोलतराम पुत्र रामप्रताप किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच दोलाराम पुत्र प्रताप के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का दोलाराम पुत्र प्रताप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम दोलाराम पुत्र प्रताप ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:51:03 IST
Reason: SelfAttested